रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 23] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 1995/माघ 11, 1916
No. 23] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 1995/MAGHA 11, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1995

प्रारंभिक निष्कर्ष

विषय : चीन जनवादी गणराज्य मूल के 3, 4, 5 ट्राइमेथोक्सी बेंजाल्डिहाइड (टीएमबीए) के आयात की पाटनरोधी जांच – प्रारंभिक निष्कर्ष .

सं. 9/10/94 – टीपीडी/एडीडी :– क. भारत सरकार ने सन 1982 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (डम्प की गई वस्तुओं पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क की पहचान निर्धारण तथा संग्रहण और क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1985 को ध्यान में रखते हुए,

ग. क्रियाविधि :– (i) जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपरोक्त नियमावली, के तहत मार्च, 1994 में मैसर्स अल्फा ड्रग इंडिया लि., एस सी ओ 18, सेक्टर – 26, चण्डीगढ़ से एक ऐसी याचिका प्राप्त हुई है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य द्वारा टीएमबीए की डम्पिंग का आरोप लगाया गया है। मैसर्स ड्रग इंडिया लिमि. 3, 4, 5 ट्राइमेथोक्सी बेंजाल्डिहाइड (जिसे इसके बाद टीएमबीए कहा गया है) के स्वदेशी उत्पादन का प्रमुख उत्पादक है

(ii) जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 11-8-1994 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जिसके अनुसार भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के शीर्षक 2912–49 और भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित वस्तु विवरण तथा कोडिंग प्रणाली पर आधारित) के सं. स. 2912.49.04 के अधीन आने वाले और चीन जनवादी गणराज्य के मूल के टीएमबीए के आयात के बारे में पाटनरोधी कार्रवाई आरंभ की गई ;

(iii) जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उपर्युक्त कार्यवाही की सूचना अधिकारिक तौर पर संबंधित निर्यातकों तथा आयातकों को और निर्यातक देश के प्रतिनिधियों एवं शिकायतकर्त्ता को दे दी थी और उन्हें इस बात का मौका दिया था कि वे देर से देर दिनांक 30 सितम्बर, 1994 तक लिखित रूप में अपने अपने विचार व्यक्त कर दें और वे मौखिक सुनवाई के लिए अनुरोध करें प्रश्नावली का उत्तर देने की अन्तिम तारीख एक पक्षीय रूप से दिनांक 15 अक्तूबर, 1994 तक बढ़ा दी गई थी ;

(iv) जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निम्नलिखित निर्यातकों से संगत जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रश्नावली भेजी थी :–

1. मैसर्स चाइना नैशनल केमिकल्स, चीन
2. मैसर्स थीजिंग केमिकल्स इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन चीन
3. मैसर्स चाइना चोंगिंग इन्टरनैशनल, फार इकोनामिक एण्ड टेक; कोआपरेशन, चीन
4. मैसर्स ग्वागंडोंग जीयांग फारेन, ट्रेड इकोनामिक डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, चीन
5. मैसर्स सिनो–केम, चीन

(v) जबकि चीन जनवादी गणराज्य के नई दिल्ली स्थित दूतावास को भी उक्त जांच आरंभ किए जाने के बारे में सूचना दी गई थी और उनसें अनुरोध किया गया था कि वे चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का दिनांक 30 सितम्बर, 1994 तक उत्तर भेजने को कहें उन निर्यातकों ने न तो उत्तर दिया और न ही वे दिनांक 30 अक्तूबर, 1994 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में ही उपस्थित हुए ;

(vi) जबकि उक्त प्रश्नावली टीएमबीए के निम्नलिखित आयातकों को भी भेजी गई थी :—

1. मैसर्स फार्मास्यूटिकल्स प्राडक्टस आफ इंडिया, लि.
2. मैसर्स औरो – लैब्स प्रा. लि., बम्बई
3. मैसर्स स्यूकेम लेबोरेटरीज, अहमदाबाद
4. मैसर्स शाबा केमिकल्स लि., रतलाम
5. मैसर्स बाम्बे ड्रग्स एंड फार्माज लि., थाने
6. मैसर्स अपूर्वा कमर्शियल लि., कलकत्ता
7. मैसर्स बरोस वैलकम (इण्डिया) लि., बम्बई
8. मैसर्स प्रगति फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि., नैनीताल
9. मैसर्स एम. जर्मन रेमिडीज लि., बम्बई
10. मैसर्स कास्मिक ड्रग्स एंड कैमिकल्स प्रा. लि., बड़ौदा
11. मैसर्स हाइ-टेक, रतलाम
12. मैसर्स पान इंडिया ड्रग्स एंड कैमिकल्स लि., इन्दौर
13. मैसर्स जोरा फार्माकील, अहमदाबाद
14. मैसर्स प्रगति फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि., नैनीताल
15. मैसर्स सोल फार्मास्यूटिकल्स लि., हैदराबाद
16. मैसर्स स्मृति आर्गेनिक्स प्रा. लि., सोलापुर
17. मैसर्स वेस्ट बंगाल फार्मा एंड फोटोकेमिकल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लि., कलकत्ता
18. मैसर्स उड़ीसा आर्गेनिक्स लि., उड़ीसा
19. मैसर्स आई पी सी ए लैब्ज लि., बम्बई
20. मैसर्स कोरोमण्डल फार्मा लि., मेडक

(vii) जबकि निर्यातकों, आयातकों और याचिकाकर्ताओं को दिनांक 30 अक्तूबर, 1994 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में अपने-अपने विचार व्यक्त करने का अवसर भी दिया गया था। उक्त सार्वजनिक सुनवाई में याचिकाकर्ता, घरेलू उद्योग और निम्नलिखित आयातकों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे –

(क) जोरा फार्मा लिमिटेड, अहमदाबाद
(ख) दि फार्मास्यूटिकल्स प्राडक्टस आफ इंडिया लि., बम्बई
(ग) बरोज वैलकम (ई.) लि., बम्बई
(घ) बाम्बे ड्रग्स एंड फार्मा लि., बम्बई
(ङ) शाबा केमिकल्स लि., रतलाम

2. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख किया :—

(क) कि उक्त सुनवाई में निर्यातक/निर्यातक देश अर्थात चीन जनवादी गणराज्य का न तो कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ और न ही उन्होंने उन्हें भेजी गई प्रश्नावली का उत्तर ही दिया और इसलिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी को चाहिए कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तथ्यों/आंकड़ों को आधार मानकर चलें ;

(ख) कि चीन जनवादी गणराज्य के मूल के टी एम बी ए की निर्यात कीमतों में लगातार गिरावट आ रही थी और यह उनके सामान्य मूल्य से नीचे रही ;

(ग) यह कि भारत में टी एम बी ए के कुल आयात में गिरावट के बावजूद चीन से आयात की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है

(घ) यह कि चीन से आयात ने भारतीय उत्पादक को वास्तविक क्षति पहुंचाई है जिससें भारतीय उत्पादक अपनी कीमत को उचित बिक्री कीमत से भी कम करने को मजबूर हो गया और इससें उसें काफी घाटा हो रहा है

3. सार्वजनिक सुनवाई में आयातकों और प्रयोक्ताओं द्वारा व्यक्त किए गए विचार को जैसे कि उनके लिखित अनुरोध में दिए गए हैं, सुनवाई के बाद संक्षिप्त रूप में भेजा गया था जो निम्नलिखित हैं :—

(क) यह कि टी एम बी ए का आयात ट्राइमियोप्रिम (जिसे इसके बाद टीएमपी कहा जाएगा) के विनिर्माण के लिए किया गया था और भारत टी एम पी का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक के रूप में उभरा था। पाटनरोधी शुल्क लगाने से टीएमपी के निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जिससे इसका उपयोग करने वाले उद्योग/उपभोक्ताओं के लिए समस्या हो गई है।

(ख) यह कि टीएमबीए चार अलग-अलग तरीकों से विनिर्मित किया जाता है अर्थात गैलिक एसिड, पैराक्रिसाल, वैनिलिन और तारा पावडर के तरीके से याचिकाकर्ता टीएमबीए का विनिर्माण गैलिक एसिड से करता था जबकि चीन इसका उत्पादन सिन्थेटिक पैराक्रिसाल तरीकों से करता है। गैलिक अधिक सस्ता है इसलिए कीमतें तुलनीय नहीं हैं।

(ग) चीन की मुद्रा के मूल्यह्रास से स्थानीय मुद्रा की अधिक वसूली हुई जिससे कीमतों में गिरावट आई।

(घ) प्रमुख कच्ची सामग्री गैलिक एसिड की कीमतें गिर गयी जिससे याचिकाकर्ता द्वारा कीमतों में कमी की गई।

(ङ) केवल याचिकाकर्ता ही टीएमबीए का उत्पादन करता है, (अन्य इसका उत्पादन कैप्टिव खपत के लिए करते हैं) जो टीएमबीए की आपूर्ति टीएमपी के अन्य विनिर्माताओं को करता है और इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क लगाने से याचिकाकर्ता की एकाधिकार जैसी स्थिति हो जाएगी। इसके अलावा याचिकाकर्ता कम्पनी इतना टीएमबीए का उत्पादन नहीं करती थी जिससे बढ़ती हुई घरेलू मांग पूरी हो सके।

(च) टीएमबीए की स्वदेशी क्षमता पर्याप्त नहीं है।

(छ) टीएमबीए की कीमतों में बढ़ोतरी के फलस्वरूप ढेर सारी जीवनदायिनी औषध (टीएमपी) की कीमतों में वृद्धि हो जायेगी जिसका असर निर्धनों पर पड़ेगा।

(ज) यह कि पाटनरोधी शुल्क लगाने की बजाय गैलिक ऐसिड पर लगने वाले आयात शुल्क को 25% से घटाकर 15% या 25% से घटाकर 0% कर दिया जाये।

(झ) यह कि चीन से आयातित टीएमबीए की शुद्धता अन्य देशों के टीएमबीए की 99% शुद्धता की तुलना में 96–98% है इसलिए कीमतों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती है।

4. निर्दिष्ट प्राधिकारी की रिपोर्ट—निर्दिष्ट प्राधिकारी उपरोक्त वाद एवं प्रतिवादों पर विचार करने तथा संगत दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि :—

(क) यद्यपि टीएमबीए उत्पाद का विनिर्माण विभिन्न कच्चे माल के इस्तेमाल से किया जा सकता है लेकिन चीन जनवादी गणतंत्र से आयात किए गए उत्पाद एवं भारत में उत्पादित उत्पाद एक समान हैं, जो पाटनरोधी नियमों के तहत "समान उत्पाद" की श्रेणी में आते हैं।

(ख) इस बात के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया कि पाराक्रेसोल रूट से निर्मित टीएमबीए की कीमत गैलिक ऐसिड रूट से निर्मित टीएमबीए से सस्ती है, इसके विपरीत, एक कम्पनी, जिसने सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया और याचिकाकर्ताओं ने इस आशय के बारे में साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं कि पाराक्रेसोल रूट सस्ता नहीं है।

(ग) टीएमपी औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के अधीन आता है और टीएमपी की कीमत टीएमबीए की सामान्य कीमत तथा इसके परिवर्तन की लागत को ध्यान में रखकर तय की जाती है। टीएमबीए जो टीएमपी के निर्माण के लिए एक कच्चा माल है, की कीमत में किसी प्रकार की बढ़ोतरी से टीएमपी की कीमतों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं रहती है।

(घ) यह धारणा सच नहीं है कि याचिकाकर्ता ही केवल एक मात्र उत्पादक है, क्योंकि अन्य ऐसे संगठन भी है जो इसका उत्पादन कर रहे हैं लेकिन चीन से कम कीमत पर आयात मूल्य को ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल कैप्टिव उपभोग के लिए कर रहे हैं। एकाधिकार की स्थिति के बजाय, पाटनरोधी उपायों से अनुचित तरीके खत्म होंगे तथा अन्य घरेलू उपजकर्ताओं को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर भारतीय बाजारों में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा स्थापित होगी।

(ङ) देश के भीतर एवं बाहर भारत की मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और पाटनरोधी उपायों को कार्यरूप देने से भारतीय बाजारों में आपूर्ति की स्थिति प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है।

(च) यद्यपि यह सच बात हो सकती है कि गैलिक एसिड की कीमतों में गिरावट आयी है, लेकिन याचिकाकर्ता को अभी भी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इस स्थिति में नहीं है कि वह उत्पादन लागत वसूल कर उचित लाभ अर्जित कर सके। सामान्य मूल्य एवं नुकसान खत्म करने के लिए अपेक्षित पाटनरोधी शुल्क की राशि का निर्धारण करते समय गैलिक ऐसिड की कीमतों में कमी के इस पहलू को भी हिसाब में लिया गया है।

(छ) यद्यपि यह बात सच हो सकती है कि चीन में मुद्रा अवमूल्यन के फलस्वरूप चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों ने मूल्य में कमी कर दी हो, लेकिन यह बात किसी भी निर्यातक ने विशेष रूप से नहीं कही है कि सामान का निर्यात उनकी सामान्य कीमत से बहुत कम कीमत पर किया जा रहा है जिसकी वजह से भारतीय उद्योग को वास्तविक नुकसान पहुंचा है। बजाय इसके आयातकों और/अथवा उपयोगकर्ताओं ने इस बात पर अपनी सहमति प्रकट की है कि भारतीय उद्योग को अपने उत्पाद की बिक्री उचित बिक्री मूल्य से कम कीमत पर करने के लिए बाध्य किया गया।

(ज) टी एम बी ए के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत के टी एम पी के निर्यात पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि टी एम बी ए तो केवल एक ही कच्चा माल है और पाटनरोधी शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य अनुचित तरीकों को खत्म करना है।

(झ) निर्दिष्ट प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र यहां तक सीमित है कि वह मौजूदा डम्पिंग नुकसान और डम्पिंग तथा नुकसान के बीच संबंध का निर्धारण करे और नुकसान की भरपाई के लिए उपाय सुझाए।

गैलिक एसिड पर कम शुल्क की सिफारिश करने का प्रश्न प्राधिकारी के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

(ञ) इसमें विशुद्धता निर्णायक कारक नहीं है जबकि कीमत है।

(ट) टी एम बी ए उत्पाद बाजार में विशुद्धता के आधार पर अलग नहीं किया जाता अतः यह तर्क कि चीन जनवादी गणराज्य के टी एम बी ए की विशुद्धता 96–98% है जबकि अन्यों से यह 99% है, सही नहीं है।

5. पदनामित प्राधिकारी ने प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक मानी गई सूचना मांगी तथा उसका सत्यापन किया। इस प्रयोजन के लिए, मैसर्स अल्फा ड्रग इंडिया लि. के परिसर में जांच की गई। यह जांच 1 अप्रैल, 1993 से 31 मार्च, 1994 तक की अवधि के लिए थी।

6. निर्यातकों से किसी उत्तर के अभाव में, पदनामित प्राधिकारी ने नियम 14 के सुपरा के अनुसार उसको उपलब्ध सूचना के आधार पर ही प्रारंभिक निष्कर्ष निकाले हैं।

ङ. विचारार्थ उत्पाद, समान उत्पाद और भारतीय उद्योग (क) विचारार्थ उत्पाद तथा समान उत्पाद: 7. जांच द्वारा शामिल उत्पाद इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन (हारमोनाइज्ड कोमोडिटी डिस्क्रिपशन एंड कोडिंग सिस्टम पर आधारित) के अन्तर्गत भारतीय सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 तथा सं. 2912.29.04 की अनुसूची-I के शीर्ष 2912.49 के अन्तर्गत आने वाले 3, 4, 5 ट्राई-मेथोक्सी बेन्जेल्डिहाइड है।

8. इस उत्पाद का विनिर्माण गैलिक एसिड डाई-मिथाइल सल्फेट, कास्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड, थियोनिल क्लोराइड, टोलीन, पी डी सी आदि से होता है। दो भिन्न रसायनों अर्थात् गालिक एसिड तथा पैराक्रीसोल से विनिर्मित टी.एम.बी.ए. हर तरह से एक जैसा होता है। कुल मिलाकर चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात किए जाने वाले टी एम बी ए हर तरह से भारत में उत्पादित तथा विपणन किए जाने वाले टी एम बी ए जैसा ही होता है।

(ङ) भारतीय उद्योग: 9. मैसर्स अल्फा ड्रग इंडिया लि., एस सी ओ 18, सेक्टर 26, चंडीगढ़ जिनका कार्यस्थल गांव लालरू, जिला पटियाला-140501 में है, के लिए तथा इनकी ओर से याचिका दायर की गई है। याचिकाकार का भारत में टी एम बी ए के उत्पादन में काफी बड़ा योगदान है और घरेलू उद्योग में सीमाशुल्क प्रशुल्क (डम्प की गई वस्तुओं पर शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का निर्धारण, मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति के निर्धारण हेतु) नियम 1985 के नियम 2 (ग) के अनुरूप कार्य करता है। भारत में, टी एम बी ए का निर्माण मुख्य रूप से मै. अल्फा ड्रग इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है हालांकि कुछ अन्य कंपनियां भी मुख्यतः निजी खपत के लिए, टी एम बी ए का निर्माण करती है। चूंकि वे भी टी एम बी ए के आयातक है इसलिए वे घरेलू उद्योग नहीं माने जाते हैं।

च. सामान्य मूल्य 10.— याचिकाकार ने चीन में टी एम बी ए की घरेलू कीमतों के संबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं की है और न ही उन्होंने उत्पाद की तुलनात्मक कीमत ही दी है किसी अन्य तृतीय देश को निर्यात किये जाने पर क्योंकि चीन में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है। याचिकाकार ने चीन में उत्पादन की लागत से संबंधित ब्यौरे भी प्रस्तुत नहीं किये हैं और इसका कारण जानकारी की अनुपलब्धता बताया है। किसी भी निर्यातक ने, उनको भेजी गई प्रश्नावली के उत्तर में, वास्तविक सूचना नहीं दी है। चूंकि चीन में उत्पादन की लागत के ब्यौरे भी उपलब्ध नहीं हैं और चूंकि किसी भी निर्यातक ने, उन्हें भेजी गई प्रश्नावली के उत्तर में जानकारी नहीं दी है, इसलिये सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में टी एम बी ए भारत को एक प्रतिनिधि देश मानते हुए, भारत में टी एम बी ए के उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया है। ऐसा करना यू एस ए, ई ई सी, आस्ट्रेलिया आदि अन्य देशों में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों और एंटी डंपिंग से संबंधित गाट कोड संबंधी व्याख्याओं और प्रणालियों तथा उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुरूप है। सामान्य मूल्य का निर्धारण एक्स फैक्ट्री स्तर पर किया गया है।

छ. निर्यात कीमत——11. निर्यात कीमत डी जी सी आई एस, कलकत्ता जिसे विश्वसनीय पाया गया है, द्वारा संकलित सीमाशुल्क क्लीयरेंस के प्रयोजन हेतु, आयातकों द्वारा बतायी गई भारित औसत कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। निर्यात कीमत आयातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से भी सह-संबद्ध है, जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर दिया था। सी आई एफ निर्यात कीमत को एफ ओ बी कीमत का निर्धारण करने के लिये बीमा तथा भाड़ा के साथ समायोजित किया गया है।

ज. तुलना—12. सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के बीच ठीक-ठीक तुलना करने के प्रयोजन से तथा सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9(क)(2) तथा नियम 14 सुपरा के अनुसार, चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों से जिन्हें अपने स्तर से अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने का भरपूर अवसर दिया गया था, कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, प्राधिकारी ने उसके पास उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखा है। जांच की अवधि के दौरान प्राप्त की गई औसत निर्यात कीमत की सामान्य कीमत के साथ तुलना की गई है।

झ. डंपिंग मार्जिन—13. जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, निर्धारित जांच की अवधि के दौरान निर्धारित सामान्य मूल्य (फैक्टरी से बाहर) की तुलना का औसत एफ ओ बी कीमत के साथ की गई है। यथानामित प्राधिकारी ने आयात के औसत सी आई एफ मूल्य का 39.5% तक डंपिंग मार्जिन पाया है।

स. क्षति—14. नियम 18 सुपरा के अन्तर्गत, जब क्षति का निष्कर्ष यह निकले कि ऐसे निष्कर्ष में डम्प किये गये आयात की मात्रा तथा उसके समान उत्पादों की घरेलू बाजार में कीमतों पर उसके प्रभाव तथा ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के प्रभाव सहित उन तथ्यों की जांच भी शामिल होगी, जिसे नामोदिष्ट प्राधिकारी परिस्थितियों के तहत आवश्यक समझे।"

कीमतों पर डंप किए गए आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच करना आवश्यक समझा गया कि क्या कीमतों में यह महत्वपूर्ण कमी भारत में उसी तरह के उत्पादों की कीमत

की तुलना में डम्प किए गए आयात के कारण हुई या इन आयातों का अन्यथा प्रभाव कीमतों को काफी हद तक कम करने के लिए था या उस कीमत वृद्धि को रोकना था, जो अन्य प्रकार से काफी हद तक बढ़ गयी होती।

16. भारत में उद्योगों पर प्रभाव की जांच करने के लिए नामोदिष्ट प्राधिकारी ने उद्योग की दशा से संबंधित ऐसी सूचियों को उत्पादन प्रवृत्ति, क्षमता-उपयोग बिक्री, स्टाक लाभदायकता और निवल बिक्री वसूली के रूप में माना।

ट. डम्प किए गए आयात की मात्रा और बाजार हिस्सा : चीन जनवादी गणराज्य से किया जाने वाला आयात 1992-93 में 92 एम टी से बढ़कर 1993-94 में 156 एम टी हो गया, हालांकि उपरोक्त अवधि के दौरान भारत में टी एम बी ए का कुल आयात 325 एम टी से कम होकर 238 एम टी रह गया। इस प्रकार, पिछले वर्ष के कुल आयात की तुलना में, वर्ष 1993-94 में आयात में 26% कमी के बावजूद चीन से होने वाले आयात 69% से अधिक बढ़े हैं। इसके परिणामस्वरूप चीन से टी एम बी ए के आयात का बाजार हिस्से में तीव्र वृद्धि हुई और यह 28% (92-93) से बढ़कर 66% (93-94) हो गया। चीन जनवादी गणराज्य से किए जाने वाले आयातों की औसत सी आई एफ कीमत जो वर्ष 1992-93 में 620.86 रुपया प्रति कि.ग्रा. थी, वर्ष 1993-94 में 20% कम होकर 496.39 रुपया प्रति कि० ग्रा० रह गई।

ठ. उत्पादन का रुख और क्षमता उपयोग:—17. याचिकाकर्त्ता कंपनी का उत्पादन 107 एम टी (वर्ष 1992-93 से बढ़कर वर्ष 1993-94 में 161 एम टी हो गया (इसमें बिक्री खपत के लिए 36 एम टी का उत्पादन भी शामिल है) संबंधित अवधि के दौरान क्षमता-उपयोग 54% से बढ़कर 80% हो गया।

(ड) बिक्री का रुख:—18. बिक्री वर्ष 1992-93 में 73.4 एम टी से बढ़कर वर्ष 1993-94 में 119.4 एम टी हो गयी।

(त) कीमत का रुख—19. भारतीय उद्योग अपनी बिक्री पर वर्ष 1992-93 में औसतन 1492.10 रुपया प्रतिकिग्रा. वसूल करने में सक्षम था। वर्ष 1993-94 में, औसत कीमत धीरे-धीरे कम होकर 1048 रुपया प्रति किग्रा. रह गई। यह कमी लगभग 29? थी, जिसका स्पष्ट कारण चीन जनवादी गणराज्य से आयात की जाने वाली टी एम सी ए की कीमतों में गिरावट था।

(थ) स्टाक का रुख :—20. याचिकाकर्ता के पास दिनांक 31-3-93 को 35.03 एम टी स्टाक था जो जून 93 में बढ़कर 43 एम टी हो गया। लेकिन याचिकाकर्त्ता द्वारा बिक्री कीमतों में कमी करने पर हुई बिक्रियों के कारण यह 31-3-94 को घटकर 35.95 एम टी रह गया।

लाभदायकता का रुख :—22. याचिकाकर्त्ता को उत्पादन और बिक्री में वृद्धि तथा प्रमुख कच्चे माल की कीमत में कमी में बावजूद, वर्ष 92-93 में 120.27 लाख रुपए का घाटा हुआ जो वर्ष 1993-94 में बढ़कर 240.51 लाख रुपया का हो गया। 22. चीन जनवादी गणराज्य से आयातित टी एम बी ए की पहुंच से मुकाबला करने के लिए घरेलू उद्योग को भी अपनी बिक्री कीमत में कुल मिलाकर काफी कमी करनी पड़ी। जिसके कारण भारी घाटा हुआ।

23. क्षति—चीन जनवादी गणराज्य से आयात की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है और निर्यात कीमत कम हो गयी है। यद्यपि याचिकाकर्त्ता कंपनी के उत्पादन और बिक्री के तथ्य दर्शाते हैं कि जांच अवधि के उत्तरवर्ती काल में कुछ सुधार हुआ है फिर भी नामोदिष्ट प्राधिकारी ने पाया कि ग्राहकों के लिए, अपने आपूर्ति स्रोत के विषय में निर्णय करने के लिए, कीमत सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है। कीमतों का मुकाबला करने के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री कीमतों को कम करने का सीधा प्रभाव यह हुआ कि उत्पादन, और बिक्री में वृद्धि हुई। घरेलू उत्पादक को उस कीमत रुख पर बेचने से रोका गया, जिस कीमत पर बेचने से उसकी उत्पादन लागत निकल आती और कुछ तर्कसंगत लाभ भी होता।

24. इस प्रकार नामोदिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि डंप किए गए आयात से घरेलू उत्पादकों को क्षति हुई है।

(द) कारणात्मक संबंध—25. यह निश्चित करने के लिए कि क्या भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति डंप किए गए आयात के कारण हुई, प्राधिकारी ने निम्नलिखित तथ्यों को आधार माना है।

(1) भारत में टी एम बी ए के आयात की कुल मात्रा में कमी के बावजूद इस उत्पाद के आयात में तेजी से वृद्धि हुई।

(2) चीन जनवादी गणराज्य से टी एम बी ए के आयात की कीमत में तेजी से कमी हुई जिसके कारण आयात में वृद्धि हुई।

3. चीनी निर्यातकों द्वारा कीमतों को सामान्य मूल्य से कम करने से घरेलू उद्योग को अपने उत्पाद का विपणन करने के लिए, अपनी बिक्री कीमत उत्पादन लागत के स्तर से भी कम करनी पड़ी।

(क) भारतीय उद्योग का हित—26(क) पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य सामान्यतः डम्पिंग जिससे भारतीय उद्योग को क्षति हो रही है, को कम करना तथा भारतीय बाजार में खुली और स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः समेकित करना था जो देश के सामान्य हित में है।

(ख) प्राधिकारी का विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से हो सकता है कि टी एम बी ए से विनिर्मित और निर्यातित उत्पादों की कीमतों के स्तर पर प्रभाव पड़े तथा इसके परिणामस्वरूप उनके उत्पादों की, निर्यात बाजार में

संगत प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी प्रभाव पड़े । किन्तु, पाटनरोधी उपायों द्वारा खासकर यदि पाटनरोधी शुल्क की लेवी क्षति को कम करने के लिए आवश्यक राशि तक ही सीमित हो भारतीय बाजार की उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटन कार्यों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभों को हटाना भारतीय उद्योग के गिरावट को रोकने के लिए और इसप्रकार, उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा रूचि की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता करने के लिए जरूरी है ।

(ग) इस तथ्य को देखते हुए कि, डम्प किए गए आयातों के कारण भारतीय उद्योग को प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है प्राधिकारी का विचार है कि हस्तक्षेप नहीं करने पर भारतीय उद्योग के लोप बिल्कुल सम्भव है इससे आपूर्तिकर्त्ताओं के विकल्प में कमी होगी जो कि प्रयोक्ताओं के हित में नहीं होगा ।

(फ) अन्य पार्टियों का हित 27. (क) ऐसे तर्क दिए गए हैं कि पाटनरोधी उपायों के लागू किए जाने के परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा में कमी होगी, टीएमबीए के उपभोक्ताओं को ऊंची कीमत देनी पड़ेगी तथा भारतीय निर्यात को क्षति होगी ।

(ख) अनुचित तरीकों पर आधारित कीमत लाभ न्यायसंगत नहीं है और दीर्घावधि में यहां तक कि उपभोक्ताओं के हित में भी, नुकसानदायक होगा, जबकि वे ही प्रतिस्पर्धियों को कमजोर बनाएंगे और उनके लोप होने को बढ़ावा देंगे इस मामले में ट्राईमैथोक्सीप्रियन (टीएमपी) के उपभोक्ताओं के लिए, पाटनरोधी उपायों को लगाने से, पर्याप्त रूप में ऊंची कीमतें नहीं मिल सकेंगी क्योंकि टीएमबीए ही एक ऐसा कच्चा माल है जिसे उपभोक्ता तक पहुंचने के पहले संसाधित किया जाता है और यह कि टीएमपी की कीमतें टीएमबीए के सामान्य मूल्य को ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित की जाती हैं ।

निष्कर्ष : (क) तदनुसार प्राधिकारी इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि :

(1) चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों ने भारत में सामान्य से कम मूल्य पर टीएमबीए की बिक्री की है ;

(2) भारतीय उद्योग को वास्तविक हानि हुई है;

(3) आयातों से भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

(ख) प्राधिकारी का विचार है कि इस मामले में पाटनरोधी उपाय लागू करने से डम्पिंग व्यवहारों के हानिकारक प्रभावों को समाप्त करके उचित प्रतिस्पर्धा पुनः स्थापित की जा सकेगी ।

(ग) उद्योग को होने वाले वास्तविक नुकसान को समाप्त करने के उद्देश्य से प्राधिकारी यह जरूरी समझते हैं कि अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए। इस मामले में निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य तथा डम्पिंग मार्जिन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निर्धारित की गई थी :

	अमरीकी डालर/कि.ग्रा.
सामान्य मूल्य	25.03
निर्यात कीमत	15.56
डम्पिंग मार्जिन	9.47
सी आई एफ के प्रतिशत के रूप में डम्पिंग मार्जिन	39.5%

(घ) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का विचार है कि क्या डम्पिंग मार्जिन से कम शुल्क क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। चीनी आयातों की औसत उतराई कीमत की तुलना जांच की अवधि के दौरान उत्पादित टीएमबीए की उचित बिक्री कीमत से की गई थी। यह अन्तर डम्पिंग मार्जिन की तुलना में कम था और तदनुसार विनिर्दिष्ट प्राधिकारी यह समझते हैं कि सीमाशुल्क टैरिफ के कोड सं. 291249.04 के अंतर्गत आने वाले चीन जनवादी गणराज्य में टीएमबीए के आयात पर 237/- रुपये प्रति किग्रा. की दर से पाटनरोधी शुल्क लगाया जाएगा ।

(ङ) यह शुल्क और नए या चीन जनवादी गणराज्य के किसी अन्य निर्यातक पर भी लगाया जाएगा जो वर्तमान कार्यवाहियों में कोई पक्षकार नहीं है ।

(च) सम्बन्धित पार्टियों/निर्यातक इस निष्कर्ष के प्रकाशन के एक महीने के भीतर, अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं और प्राधिकारी को मौखिक रूप से अपनी बात कहने के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं ।

जे. के. बागची, नामित अधिकारी
तथा अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 1995.

Preliminary Findings.

Subject : Anti-dumping investigation concerning the import of 3,4,5, Trimethoxy Benzaldehyde (TMBA) originating from the People's Republic of China—preliminary findings.

No. 9/10/94—TPD/ADD.—B. The Government of India—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1982 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and collection of Duty or Additional duty on dumped articles and for determination of injury) Rules, 1985.

C. Procedure.—(i) Whereas the Designated Authority, under the above Rules, received in March 1994 a petition from M/s. Alpha Drug India Ltd., SCO 18, Sector 26, Chandigarh, which accounts for a majority of indigenous production of 3,4,5 (Trimethoxy Benzaldehyde hereinafter referred to as TMBA) in India, alleging dumping of TMBA by the People's Republic of China ;

(ii) Whereas the Designated Authority issued a Public notice dated 11-08-1994 published in the Gazette of India, initiating

anti dumping proceedings concerning imports of TMBA falling under heading 2912-49 of Schedule I of Indian Customs Tariiff Act 1975 and No. 2912-49-04 under Indian Trade classification (Based on Harmonised Commodity Description and Coding System) originating from the People's Republic of China.

(iii) Whereas the Designated Authority officially informed the exporters and importers known to be concerned, the representatives of the exporting country and the complainant about the said initiation and gave them an opportunity to make their views known in writing and to request an oral hearing, latest by 30th September 1994. The last date for responding to the questionnaire was unilaterally extended upto 15th October 1994;

(iv) Whereas the Designated Authority addressed the questionnaire to elicit relevant information from the following exporters :

1. M/s. China National Chemicals, China
2. M/s. Beijing Chemicals Import and Export Corporation, China.
3. M/s. China Chongging International for Economic & Tech. Corporation China
4. M/s. Guangdong Jieyang Foreign, Trade Economic Development Corporation China
5. M/s. Sino-Chem, China :

(v) Whereas the Embassy of the Peoples Republic of China in New Delhi was also informed about the initiation of investigation and was requested to advise the exporters/producers from People's Republic of China to respond to the questionnaire by 30th September, 1994. The exporters neithter responded nor attended the public hearing held on 30th October, 1994;

(vi) Whereas the questionnaire was also sent to the following importers of TMBA :

1. M/s. Pharmaceuticals Products of India Ltd., Bombay.
2. M/s. Auro Labs Pvt. Ltd. Bombay.
3. M/s. Suchem Laboratories, Ahmedabad.
4. M/s. Shaba Chemicals Ltd., Ratlam.
5. M/s. Bombay Drugs & Pharmas Ltd., Thane.
6. M/s. Apurva Commercial Ltd., Calcutta.
7. M/s. Burroughs Wellcome (India) Ltd., Bombay.
8. M/s. Pragati Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Nainital.
9. M/s. German Remedies Ltd., Bombay.
10. M/s. Cosmic Drugs & Chemicals Pvt. Ltd., Baroda.
11. M/s. Hi-Tech., Ratlam.
12. M/s. Pan India Drugs & Chemicals Ltd., Indore.
13. M/s. Zora Pharma Ltd., Ahmedabad.
14. M/s. Sol Pharmaceuticals Ltd., Hyderabad.
15. M/s. Orissa Organics Ltd., Orissa.
16. M/s. Smruthi Organics Pvt. Ltd., Solapur.
17. M/s. West Bengal Pharma & Phytochemicals Development Corp. Ltd., Calcutta.
18. M/s. IPCA Labs Ltd. Bombay.
19. M/s. Coromandel Pharma Ltd., Medak.

(vii) Whereas an opportunity was also given to exporters, importers and petitioners to express their views in a public hearing held on 30th Oct. 1994. The said Public hearing was attended by the representatives of the petitioner domestic industry and the following importers :

(a) M/s. Zora Pharma Limited, Ahmedabad.
(b) M/s.The Pharmaceuticals Products of India Ltd., Bombay.
(c) M/s. Burroughs Wellcome (I) Ltd., Bombay.
(d) M/s. Bombay Drugs & Pharma Ltd., Bombay.
(e) M/s. Shaba Chemicals Ltd., Ratlam.

2. The petitioner highlighted the following points during the hearing :

(a) That no representative of the exporter/exporting country i.e. People's Republic of Chima was present at the hearing, nor did they respond to the questionnaire and the Designated authority should go by the facts/figures supplied by the petitioner ;

(b) That the export price of TMBA originating from the People's Republic of China was continuously falling and was also below their normal value ;

(c) That there has been steep increase in the quantum of imports from China in spite of decrease in total imports of TMBA in India ;

(d) That imports from China had caused material injury to the Indian producer in that the Indian producer had been compelled to reduce their price below fair selling price and hence were suffering substantial losses ;

3. The view expressed by the importers and users at the public hearing as contained in their written submissions sent after the hearing were briefly as follows :

(a) The TMBA was imported for manufacture of Trimethoprim (hereinafter called TMP) and India had emerged as a major producer and exporter of TMP, Imposition of anti-dumping duty will affect adversely the exports of TMP causing problem to the user industry/consumers;

(b) That TMBA is manufactured in four different ways; i.e. through Gallic Acid. Paracresol, Vanillin, and Tara Powder routes. TMBA manufactured by the petitioner was from Gallic acid whereas China produces it from synthetic Paracresol route The latter is cheaper and hence the prices are not comparable.

(c) Devaluation of Chinese currency has led to higher realisation of local currency leading to price reductions.

(d) Price of the major raw material Gallic Acid had fallen resulting in reduction in prices by the petitioner.

(e) The petitioner is the only producer of TMBA (the others produce for capitive consumption) who is supplying TMBA to other manufcturer of TMP, and hence imposition of anti dumping duty would result in monopoly status to the petitioner. Further, the petitioner Co. was not producing enough TMBA to meet the growing domestic demand.

(f) The domestic capacity of TMBA is not sufficient.

(g) Increase in the prices of TMBA would result in increase in the prices of the life saving bulk drug (TMP) would affect the poor.

(h) That instead of levying an anti-dumping duty, the duty on import of Gallic acid should be reduced from 25% to 15% or 25% to 0%

(i) That the TMBA imported from China has a purity of 96-98% as against 99% of others and hence the prices cannot be compared.

D. Findings of the Designated Authority 4. The Designated Authority (D.A.), having considered the arguments and counterarguments highlighted above as well as having persued the relevant records, found that:

(a) Though the product TMBA may be manufactured by using different raw materials the product being imported from the People's Republic of China and that produced in India are 'like products' within the meaning of Anti Dumping rules;

(b) No supporting evidence was made available about the cost of TMBA manufactured through Paracresal route being cheaper than TMBA manufactured through Gallic Acid route. On the contrary, one of the companies that attended the Public hearing and the petitioners have provided evidence to the effect that the Paracresol route is not cheaper.

(c) TMP is under Drug Price Control Order, and the price of TMP is fixed keeping in view normal prices of TMBA and conversion costs. Any increase in the prices of TMBA, which is only one of the raw materials for TMP is therefore unlikely to have major impact on the the prices of TMP;

(d) The Contention that the petitioner is the only producer is not true as there are other organisations also who are producing the same but are using the same for captive consumption in view of the low priced imports from China. Instead of monopoly situation, anti dumping measures would rather remove unfair practices and establish fair competition in the Indian market by encouraging the other domestic producers to increase production.

(e) There is sufficient capacity within and outside the country to meet Indian demand, and imposition of anti dumping measures is unlikely to affect the supply position in Indian markets.

(f) While it may be true that the prices of Gallic Acid have fallen, the petitioner is still suffering losses and is not able to recover its cost of production and earn a reasonable return. While arriving at the normal value and the amount of Anti Dumping duty required to remove the injury, this aspect of reduction in prices of Gallic Acid has been taken into consideration.

(g) While it may be true that devaluation of Chinese currency led to price reduction by the exporters in the People's Republic of China, it has not been specifically disputed by any exporter that the goods are being exported much below their, normal value, and this has resulted in material injury to Indian industry. Rather the importers and/or users had agreed that the Indian industry was forced to sell its product below its fair selling prices.

(h) Imposition of anti dumping measures on imports of TMBA is unlikely to have substantial adverse effects on India's exports of TMP, as TMBA is only one of the raw material and primarily the anti dumping measures are aimed to remove unfair practices.

(i) The jurisdiction of the Designated Authority is restricted to determining the existence of dumping, injury and casual relationship between dumping the injury and to recommend measures to remove such injury. The question of recommending reduced duty on Gallic Acid is outside the purview of the Designated Authority.

(j) The purity does not appear to be the deciding factor whereas price was.

(k) The product 'TMBA' is not differentiated on the basis of purity in the market and hence the argument that TMBA from the People's Republic of China was of 96-98% puriry whereas from others it is 99% is not relevant.

5. The Designated Authority sought and verified information deemed necessary for the purpose of the preliminary determination. To this end an investigation was carried out at the premises of M/s. Alpha Drug India Ltd. The investigation covered the period from 1st April 1993 to 31st March 1994.

6. In the absence of any response from the exporters, the Designated Authority has made the preliminary findings on the basis of the information available to it as per Rule 14 supra.

E. Product under consideration, like product and Indian Industry (a) Product under consideration and like product 7. The product covered by the investigation is 3, 4, 5 Trimethoxy Benzendehide falling under heading 2912-49 of Schedule I of Indian Customs Tariff Act, 1975 and no. 2912.49.04 under Indian Trade Classification (Based on Harmonised Commodity Description and coding system).

8. The product is manufactured out of Gallic Acid, Dimethyl Sulphate, Caustic Soda, Sulphuric Acid, Thionyl Chloride, Toluene, PDC, etc.TMBA manufactured through two different routes, i.e. Gallic Acid and Paracresol routes is alike in all respect. By and large TMBA exported from Peoples Republic of China is alike in all respects to the TMBA produced and marketed in India.

F. Indian Industry 9. The petition has been filed for and on behalf of M/s Alpha Drug India Ltd., SCO 18 Sector 26, Chandigarh, having their works at Village Lalru, District Patiala:140501.The petitioner accounts for a majority of TMBA production in India and hence constitute domestic industry in accordance with Rule 2(c) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1985. In IndiaTMBA is manufactured mainly by M/s Alpha Drug India Limited, though some other companies also manufacture TMBA mainly for captive consumption. As they are also importers of TMBA, they do not qualify as domestic industry.

G. Normal Value 10. The petitioner has not furnished information on domestic prices of TMBA in China nor have they furnished comparable price of the product when exported to any other third country, as China is a non market economy. The petitioner has also not furnished details of cost of production in China pleading non-availability of information. None of the exporters furnished factual information in response to the questionnaire sent to them. As details of cost of production in China are also not available and as none of the exporters have furnished information in response to the questionnaire sent to them, normal value has been determined on the basis of the cost of production of TMBA in India treating India is a surrogate country. This is iu kpeeing with interpretations and practices in other countries like USA, EEC, Australia etc. when dealing with non-Market Economy countries and the GATT code on Anti-dumping and best information available. The normal value has been determined at the ex-factory level.

H. Export Price 11. The export price has also been determined on the basis of the weighted average price reported by the importers for the purpose of Custom clearances, as compiled by DGCIS Calcutta which has been found to be reliable. The export price has also been correlated with the data submitted by the importers who have responded to the questionnaire. The CIF export price has been adjusted for insurance and freight for working out the F.O.B. price.

I. Comparison 12. For the purpose of a fair comparison between the normal value and export price and in accordance with Section 9(A)(2) of the Customs Tariff Act and Rule 14 supra, the Authority took into account the best available information with it in the absence of any response from the exporters in Peoples Republic of China, who were given ample opportunity to make available the relevant information from their end. The average export price obtained during the period of investigation has been compared with Normal price.

J. Dumping Margin 13. The Normal value (at ex-factory level) determined as explained above has been compared with the average FOB price for the period of investigation. The Designated Authority has found a dumping margin of 39.5% of the average CIF value of the imports.

K. Injury 14. Under Rule 18 supra, when a finding of injury is arrived at, "such finding shall involve an examination of facts which the Designated Authority considers relevant under the circumstances including the volume of dumped imports and their effect on prices in the domestic market for like products and the consequent impact of such imports on domestic producers of such products". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of an identical product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

15. For the examination of the impact on the industy in India, the Designated Authority considered such indices having a bearing on the state of industry as production trend, capacity utilisation, sales, stock, profitability and net sales realisation.

L. Volume and Market Share of Dumped Import 16. Imports from People's Republic of China have steeply increased from 92 MT in 1992-93 to 156 MT in 1993-94 though total imports of TMBA in India has reduced from 325 MT to 238 MT during the corresponding period. Thus, against reduction in total imports by over 26 % in 1993-94 compared to the previous year, the imports from China has increased by more than 69%. This has resulted in sharp increase in market share of import of TMBA from China from 28% (92-93) to about 66% (93-94). The average CIF price of imports from the Proples Republic of China declined by 2% from Rs. 620.86 per kg. in 1992-93 to 496.39 per kg. in 1993-94.

M. Production Trend and Capacity Utilisation : 17. Production of the petitioner company has increased from 107 MT (1992-93) to 161 MT in 1993-94 (includes 36 MT producd for captive consumption). The capacity utilisation has increased from 54% to 80% during corresponding period.

N. Sales Trend 18. Sales have increased in from 73.4 MT in 1992-93 to 119.4 MT in 1993-94.

O. Price Trend 19. The Indian industry was able to realise Rs. 1492.10 per kg. on an average on its sales in 1992-93. In 1993-94, the average price fell gradually to Rs. s.1048 per kg., a fall of about 29% which is directly attributable to the fall in prices of TMBA imported from the People's Republic of China.

P. Stock Trend 20. The petitioner was having a stock of 35.03 MT as on 31-3-93 which increased to 43 MT in June 93. However, the same has redudeed to 35.95 MT as on 31-3-94 because of sales due to reduction in selling prices by the petitioner.

Q. Profitability Trend 21. The petitioner suffered losses to the tune of Rs. 120.27 lakhs in 92-93 which increased considerably to Rs. 240.51 lakhs in 1993-94 despite increase in production and sale, and decrease in cost of major raw-material.

22. The domestic industry had to reduce its selling prices substantially to by and large match its prices with the landed prices of imported TMBA price from Peoples Republic of China resulting in huge losses.

R. Injury 23. The quantum of imports from Peoples Republic of China have increased substantially and the export prices have gone down. Though factors such as production & sales of the petitioner company showed some improvement in the latter part of the investigation period, the Designated Authority found that selling price was the most important factor to the customers in determining their source of supply. The improvements in production, sales etc. were a direct consequence of the lowering of the selling prices by the domestic industry so as to match the same with the imported prices. The domestic producer has been prevented from selling at a price level which could cover its cost of production and allow reasonable profit.

24. The Designated Authority is, thus, led to the conclusion that the dumped imports have caused material injury to the domestic producers.

S. Causal Link 25. In determining whether material injury to Indian industry was caused by the dumped imports, the Authority took into account the following facts :

(i) The imports of the product has increased steeply in spite of decrease in total quantum of imports of TMBA in India.

(ii) There was steep decrease in import price of TMBA from People's Republic of China leading to spurt in imports.

(iii) Price undercutting by Chinese exporters below normal value forced the domestic industry to reduce its selling price to a level below its cost of production to market its product.

T. Indian Industry,s Interest 26. (a) The purpose of anti dumping duties is in general to eliminate dumping which is causing injury to the Indian industry and to reestablish the situation of open and fair competition on the Indian market which is in the general interest of the country.

(b) The Authority recognised that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured out of TMBA and exported and consequently might have some influence on relative competitiveness of their products in the export market. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures-particularly if the levy of the anti dumping duty is limited to the amount necessary to redress the injury. On the contrary, the removal of the unfair advantages gained by dumping practices is designed to prevent the decline of the Indian industry and thus to help maintain the availability of the widest choice to the consumers.

(c) In view of the fact that the Indian industry has been forced into the unhealthy situation caused by the dumped imports, the Authority considers that in the absence of intervention, the disappearance of Indian industry is quite possible. This could lead to reduction of the choice of suppliers which is not in the interest of users.

U. Interest of other parties : 27. (a) Arguments have been raised that the imposition of anti dumping measures would result in less competition, higher prices for consumers of TMBA and may harm India's exports.

(b) Price advantages based on unfair practices are unjustifiable and may in the longer term be harmful even to the interest of consumers when they have the effect on weakening competitors and promoting their disappearance. In this case, for the consumers of Trimethoprim (TMP), the imposition of anti-dumping measures will not result in substantial higher prices since TMBA is only one of the raw materials which had to be processed before reaching the consumer and that the prices of TMP are fixed by DPCO taking into account the normal value of TMBA.

V. Findings : 28 (a) The Authority accordingly has come to the conclusion that :

(i) Exporters from People's Republic of China have sold TMBA in India below normal value:

(ii) the Indian industry has suffered material injury;

(iii) that the imports caused material injury to Indian industry;

(b) The Authority considers that the imposition of anti-dumping measures in the present case will reestablish fair competition by eliminating the injurious effects of dumping practices;

(c) The Authority considers it necessary to impose a provisional anti dumping duty in order to remove the material injury to the domestic industry. The export price, normal value and the margin of dumping in this case were determined by the Designated Authority as :

	USD/Kg.
Normal Value	25.03
Exports Price	15.56
Margin of Dumping	9.47

(d) The Designated Authority considered whether a duty lower than the dumping margin would be enough to remove the injury. The acvelage landed price of the Chinhse imports was compared with the fair selling price of TMBA produced during the period of investigation. This difference was less than the dumping margin and accordingly the Designated Authority considers that an anti dumping duty of Rs. 237/- per kg. be imposed on imports of TMBA originating in the People's Republic of China falling under Code No. 291249.04 of the Custom Tariff.

(e) This duty would also be applicable to new or any other exporter from People's Republic of China who are not parties to the present proceedings.

(f) The parties/exporters concerned may make known their views and apply to be heard orally by the Authority within one month of the publication of this finding.

J. K. BAGCHI, Designated Authority
and
Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995